कार्यालय नगर विकास न्यास अलवर

क्रमांकः– 5238/20 दिनांकः– 07/09/20

लालजी बिल्ड स्टैट प्रा0लि0
जर्ये डायरेक्टर श्री अजय कुमार गर्ग पुत्र श्री भगवान सहाय गर्ग
निवासी 01, देहली रोड मुंगस्का अलवर

विषय :– खसरा नम्बर 3416/1421 ग्राम तूलेड़ा जिसका कुल रकबा 0.68 है० तह0 व जिला अलवर की मुख्यमंत्री जन आवास के प्रोविजन नं0 3(बी) योजना के तहत ले–आउट स्वीकृति बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा खसरा नम्बर 3416/1421 ग्राम तूलेड़ा जिसका कुल रकबा 0.68 है० तह0 व जिला अलवर की मुख्यमंत्री जन आवास के प्रोविजन नं0 3(बी) योजना के तहत ले–आउट स्वीकृति हेतु न्यास कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें से प्लॉट एरिया 3351.82 वर्गमीटर व व्यावसायिक 71.03 वर्गमीटर, ग्रीन 455.45 वर्गमीटर, सुविधा क्षेत्र/पी.यू. 340.44 वर्गमीटर, रोड़ में समर्पित क्षेत्रफल कुल भूमि का क्षेत्रफल 6800.00 वर्गमीटर है। ले–आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 27.07.2020 के निर्णयानुसार ले–आउट प्लान निम्न शर्तो पर स्वीकृत किया जाता है।

01. *मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करनी होगी।*
02. *डवलपर्स द्वारा बाह्य विकास कार्य दिनांक 26.06.2020 को प्रस्तुत अण्डरटेकिंग के आधार पर स्वयं के स्तर पर करना होगा।*
03. *आन्तरिक विकास के मध्य रखे गये 12.5 प्रतिशत में आवासीय भूखण्ड सं0 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 कुल क्षेत्रफल 368.30 वर्गमीटर एवं व्यावसायिक क्षेत्रफल 71.03 वर्गमीटर को तब तक आवेदक द्वारा विक्रय नहीं किया जावेगा, जब तक की विकास कार्य पूर्ण नही हो जाता एवं विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त मौके पर सत्यापन होने के पश्चात् उक्त भूखण्डों को रहन मुक्त किया जायेगा एवं प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 04.09.2020 में अंकित शर्तों की पालना करनी होगी।*
04. *आन्तरिक विकास कार्य आवेदक को स्वयं के स्तर पर करना होगा।*
05. *नियमानुसार न्यास से नियमन पट्टा प्राप्त करना होगा।*
06. *नियमानुसार न्यास से भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।*
07. *नियमानुसार एस.टी.पी. का प्रावधान करना होगा।*
08. *नियमानुसार पूर्णता/अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।*
09. *राज्य सरकार/ न्यास द्वारा अन्य कोई शुल्क निर्धारित करने पर जमा कराना होगा।*
10. *राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना की पॉलिसी में समस्त शर्तों की पालना करनी होगी।*
11. *भूखण्ड के मध्य से 132 के.वी. की लाईन गुजर रही है, 132 के.वी. विद्युत लाईन के लिये सुरक्षात्मक दूरी छोड़नी होगी।*
12. *राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत निर्धारित प्रावधानों की पूर्ण पालना डवलपर्स द्वारा करनी होगी।*
13. *डवलपर्स को नियमानुसार* **RERA (Real estate Regulatory Authority)** *में पंजीयन कराना होगा।*

सहायक नगर नियोजक	उप नगर नियोजक	अधिशाषी अभियन्ता	सचिव
नगर विकास न्यास	नगर विकास न्यास	नगर विकास न्यास	नगर विकास न्यास
अलवर	अलवर	अलवर	अलवर

क्रमांकः दिनांकः

प्रतिलिपि :– अधिशाषी अभियन्ता, न्यास, अलवर को वास्ते सूचनार्थ ।

उप नगर नियोजक
(सदस्य सचिव)
नगर विकास न्यास, अलवर

AANGAN

ले–आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 27.07.2020

आन्तरिक विकास के मध्य रखे गये 12.5 प्रतिशत में आवासीय भूखण्ड सं0 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 कुल क्षेत्रफल 368.30 वर्गमीटर एवं व्यावसायिक क्षेत्रफल 71.03 वर्गमीटर का विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त मौके पर सत्यापन होने के पश्चात् उक्त भूखण्डों को रहन मुक्त किया जायेगा।

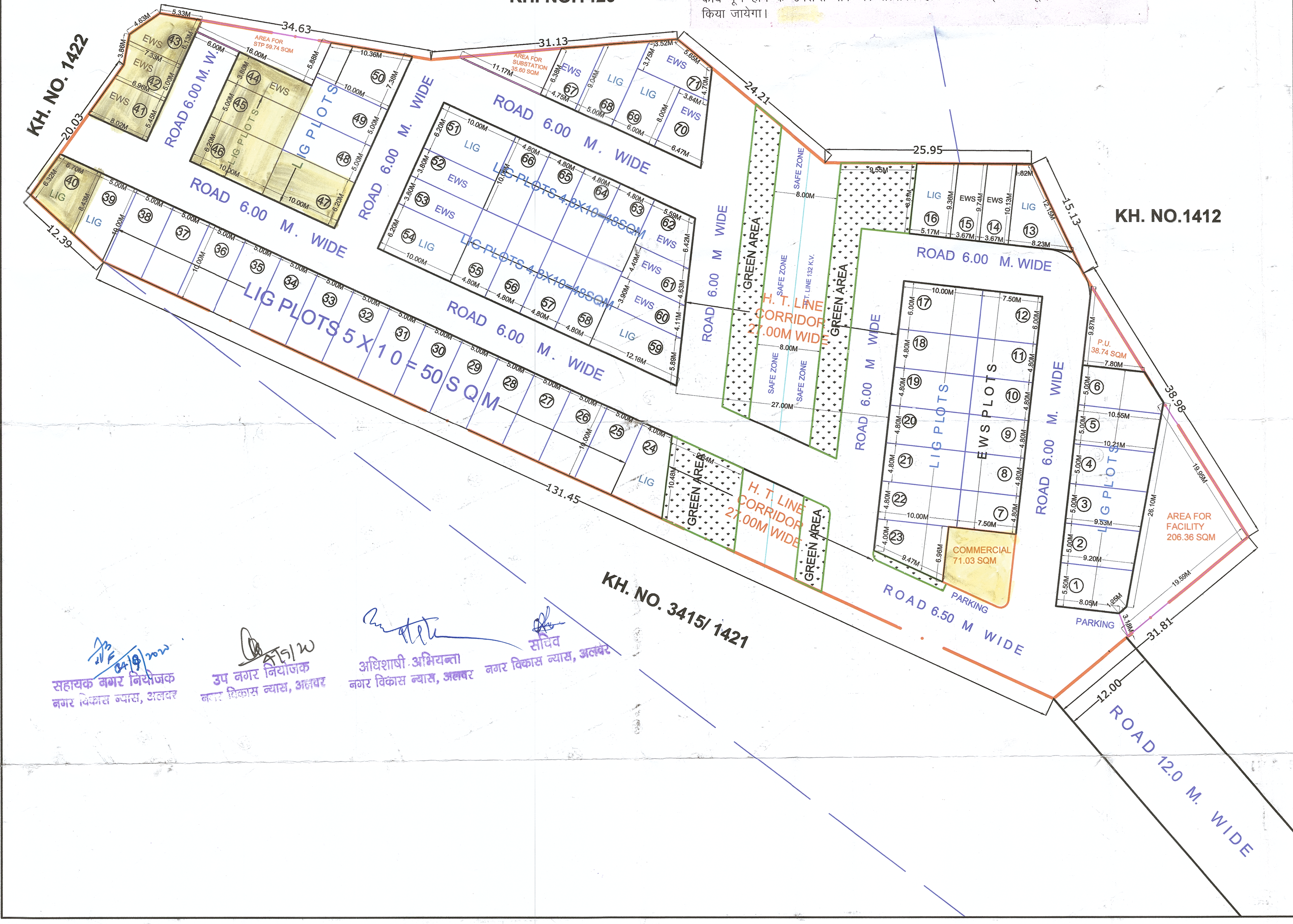

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, अलवर

उप नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, अलवर

अधिशाषी अभियन्ता
नगर विकास न्यास, अलवर

सचिव
नगर विकास न्यास, अलवर

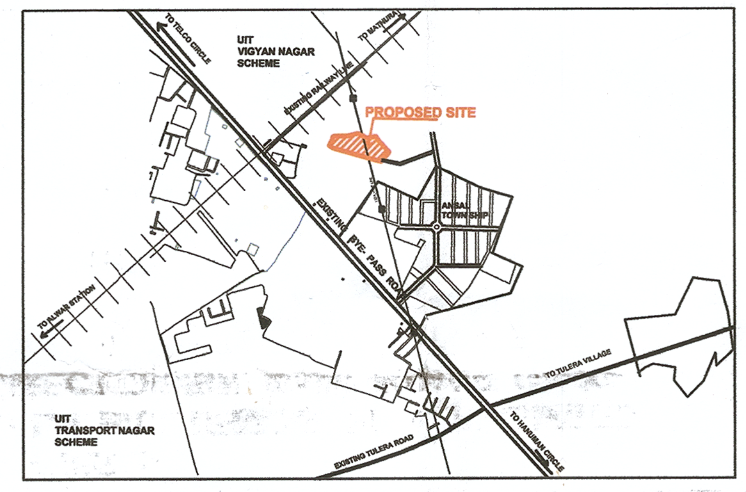

LOCATION PLAN

S.NO.	ITEMS	AREA IN SQM.	PERCENTAGE	DEATILS OF EWS / LIG PLOTS
1	RESIDENTIAL	3351.82	49.29%	LIG PLOT NO :- 1 TO 6, 13, 16 TO 40,45 TO 51 , 54 TO 59 , 63 to 66 , 68 ,69 TOTAL PLOTS= 51 UNITS
2	COMMERCIAL	71.03	01.05%	
3	GREEN	455.45	06.69%	
4	FACILITY /PU	340.44	05.00%	EWS PLOT NO :- 7 TO 12,14 ,15, 41 to 44, 52, 53 ,60 TO 62 , 67 ,70 , 71 TOTAL UNITS = 20 UNITS
5	AREA IN H.T. LINE	370.23	05.45%	
6	CIRCULATION	2210.93	32.52%	
7	TOTAL	6800.00	100%	

NOTE :- SCHEME BOUNDARY SHOWN

LAY OUT PLAN OF RESIDENTIAL PLOTS SCHEME APPLY UNDER CMJAY 2015 PROVISION NO. 3(B) IN KH. NO. :- 3416/ 1421 VILLAGE TULERA,TEHSIL & DISTT. ALWAR,

OWNER :-
LALJI BUILDSTATE PRIVATE LIMITED
DIRECTOR SH. AJAY KUMAR GARG
S/O SH. BHAGWAN SAHAI GARG

SCALE:- 1:400

DRG.NO. :- 01

N

For Lalji Buildstate Private Limited
Managing Director

SIG. OF OWNER

ANKIT SHARMA Reg.No. CA/07/40652 Council of Architecture

DRAWN BY